न्यायालय कलक्टर (आर्बीट्रेटर)नेशनल हाईवे अजमेर

प्रकरण संख्या 37/2017

1. प्रहलाद पुत्र श्री छोगालाल जाति गुर्जर निवासी–ग्राम घूघरा तहसील अजमेर,

.........प्रार्थी

बनाम

1. यूनियन ऑफ इण्डिया थ्रु द सेकेट्री फार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोंट एण्ड नेशनल हाईवेज न्यू देहली।
2. दी नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया, न्यू देहली जरिये सेकेट्री।
3. परियोजना निदेशक एवं अधिक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वृत–जोधपुर जरिये प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0विभाग राजस्थान उच्च मार्ग खण्ड नागौर, राजस्थान।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर। **.......अप्रार्थीगण**

परिवाद अर्न्तगत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्व अवार्ड प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर दिनांक–17.4.2015

उपस्थितः– 1. श्री विजेन्द्र चौधरी — अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी — अभिभाषक अप्रार्थी सं03

आदेश दिनांक – 24.07.2019

दावा :– प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा ग्राम माकडवाली के खसरा नं0 3249 में से 3335.783 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर–नागौर खण्ड) को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु नेशनल हाइवे एक्ट 1956 की धारा 3 ए (1) के तहत भूमि अधिग्रहण की सूचना दैनिक समाचार पत्र दिनांक 11.05.2014 को प्रकाशन कराया गया। जिसके अनुसार प्रार्थी की कुल 3335. 783 वर्ग मीटर भूमि अर्जन हेतु घोषित भूमि में शामिल है। प्रार्थी द्वारा अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अवाप्त भूमि का बाजार दर से चार गुना अथवा नये कानून "दी राईट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वाजिशन, रीहेबिलटेशन एण्ड रीसेटलमेन्ट एक्ट 2013" जो दिनांक 1.1.2014 से प्रभाव में आ चुका था, के अनुसार मुआवजा दिये जाने की प्रार्थना की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी की आपत्तियों को नजरअंदाज कर अवाप्त शुदा भूमि का बाजार मूल्य 4,42,750/–प्रति बीघा निर्धारित करते हुए रूपये 09,12,387/– के मुआवजे का अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अवार्ड दिनांक 17.4.2015 एवं नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा "3 J" को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में एक रिट याचिका संख्या 17974/2016 दायर की गई जिसको माननीय न्यायालय द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट की धारा "3 J" को असंवैधानिक घोषित करते हुए प्रार्थी को नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

G(5) के तहत मुआवजे हेतु सक्षम अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं सम्बन्धित अधिकरण को उक्त प्रार्थना पत्र को 6 माह में निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम माकडवाली की प्रशनगत आराजी की अवाप्ति बाबत भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को संशोधित करते हुए अवाप्त भूमि का मुआवजा "दी राईट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वाजिशन, रीहेबिलटेशन एण्ड रीसेटलमेन्ट एक्ट 2013" के प्रावधान अनुसार मुआवजा एवं देय अन्य परिलाभ मय 12 प्रतिशत ब्याज के दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी0 की तलबी पूर्ण नही होने पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर क्रम संख्या 03 पर परियोजना निदेशक एवं अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0विभागरा0रा0मार्ग वृत जोधपुर जरिये प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0रा0उच्च मार्ग खण्ड नागौर(राज0) को तथा क्रम संख्या 04 पर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। बाद सुनवाई प्रकरण में उक्तानुसार पक्षकार मुर्तिब कर नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 03 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि :–

प्रतिरक्षण :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–89 (अजमेर–नागौर खण्ड) रोड को चौडा करने हेतु ग्राम माकडवाली के खसरा नं0 3249 में से प्रार्थी की 3335.783 वर्ग मीटर भूमि अवाप्त की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार तत्समय की प्रभावी डीएलसी दरों को आधार मानकर मुआवजें का निर्धारण कर दिनांक 17.4.2015 को विधिसम्मत अवार्ड जारी किया गया। तत्पश्चात भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा अपने पूर्व में जारी अवार्ड दिनांक 17.4.2015 में संशोधन करते हुए दिनांक 2.5.2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। संशोधित अवार्ड अनुरूप दिनांक 28.11.2018 को राशि जमा करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष, संशोधित अवार्ड दिनांक 2.5.2018 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अब पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं अप्रार्थी द्वारा प्रतिरक्षण में प्रस्तुत जवाब कथनों के आधार पर मुख्यतः वाद बिन्दू कायम किया गया।

वाद बिन्दू :–

आया प्रार्थी, प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करने हेतु ग्राम माकडवाली के खसरा नं0 3249 में से 3335.783 वर्ग मीटर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा "दी राईट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वाजिशन, रीहेबिलटेशन एण्ड रीसेटलमेन्ट एक्ट 2013" के अनुसार मुआवजा मय ब्याज प्राप्त करने के आधिकारी है ?

उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा अपने दावे/प्रतिरक्षण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर माध्यरस्थम् अधिकरण द्वारा वाद बिन्दुओ को तय किये जाने का प्रयास किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

10/8/1?

Scanned by CamScanner

आपसी सहमति :– माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाही के तहत कायम वाद बिन्दुओं पर आपसी सहमति बनाये जाने के प्रयास के तहत उभय पक्ष को आमने सामने बिठाकर सुलह का प्रयास करवाया गया। उभय पक्ष में इस दौरान सहमति नहीं बन पाई।

उपस्थित उभय पक्ष (वादी/प्रतिवादी) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रकरण में गुणावगुण पर विनिश्चय करने के लिए सहमति प्रकट करते हुए आदेश पारित करने के आग्रह पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

आया प्रार्थी, प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तित करने हेतु ग्राम माकडवाली के खसरा नं0 3249 में से 3335.783 वर्ग मीटर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा "दी राईट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वाजिशन, रीहेबिलटेशन एण्ड रीसेटलमेन्ट एक्ट 2013 " के अनुसार मुआवजा मय ब्याज प्राप्त करने के आधिकारी है ?

इस बिन्दु बाबत प्रार्थी का कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर–नागौर खण्ड) को दो लेन मय पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु ग्राम माकडवाली के खसरा नं0 3249 में से प्रार्थी की 3335.783 वर्ग मीटर भूमि अर्जन हेतु घोषित भूमि में आती है। प्रार्थी, द्वारा अवाप्त भूमि का बाजार दर से चार गुना अथवा नये कानून "दी राईट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वाजिशन, रीहेबिलटेशन एण्ड रीसेटलमेन्ट एक्ट 2013" के अनुसार मुआवजा दिये जाने की आपत्तियों को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर अवाप्त शुदा भूमि का अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को पारित करते हुए अवाप्त शुदा भूमि का बाजार मूल्य 4,42,750/–प्रति बीघा निर्धारित करते हुए रूपये 9,12,387/– के मुआवजे का अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी0 द्वारा उपरोक्त अवार्ड दिनांक 17.4.2015 एवं नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा "3 J" को राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में एक रिट याचिका संख्या 17974/2016 दायर की गई जिसको माननीय न्यायालय द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट की धारा "3 J" को असंवैधानिक घोषित करते हुए प्रार्थी को नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 G(5) के तहत मुआवजे हेतु सक्षम अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं सम्बन्धित अधिकरण को उक्त प्रार्थना पत्र को 6 माह में निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। तदनुसार प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आक्षेपित अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को संशोधित करते हुए अवाप्त भूमि का मुआवजा "दी राईट टू फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रान्सपेरेन्सी इन लैण्ड एक्वाजिशन, रीहेबिलटेशन एण्ड रीसेटलमेन्ट एक्ट 2013" के प्रावधान अनुसार एवं देय अन्य परिलाभ मय 12 प्रतिशत ब्याज के दिलवाये जाने का निवेदन किया। जवाब में अप्रार्थी का मुख्यतः तर्क है कि अवार्ड दिनांक 17.4.2015 द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार तत्समय की प्रभावी डीएलसी दरों को आधार मानकर मुआवजें का निर्धारण किया गया था। दिनांक 2.5.2018 को भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर द्वारा अपने पूर्व जारी अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को संशोधित करते हुए संशोधित अवार्ड पारित किया जा चुका है। संशोधित अवार्ड अनुरूप दिनांक 28.11.2018

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma

कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नैशनल हाइवे, अजमेर

Scanned by CamScanner

को राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष, संशोधित अवार्ड दिनांक 2.5.2018 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अब पोषणीय नहीं होने से काबिले खारिज है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र के अन्तिम विनिश्चय हेतु उपरोक्त बिन्दु आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उपस्थित अधिवक्ता की ओर से व्यक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा पूर्व जारी अवार्ड दिनांक 17.4.2015 को दिनांक 2.5.2018 को संशोधित कर संशोधन के अनुरूप राशि जमा करवाई जा चुकी है। इससे यह निर्विवादित तथ्य स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर द्वारा संशोधित अर्वाड, दिनांक 2.5.2018 को जारी किया जा चुका है। इस संबध में पुनः कोई संशोधन विधि अनुसार अपेक्षित हो ऐसा कोई कथन प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है एवं ना हीं उक्त संशोधित आदेश दिनांक 2.5.2018 को आक्षेपित किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरे विनम्र मतानुसार प्रकरण में पुनः अवार्ड के संबध में कोई आदेश/निर्देश प्रदान किये जाने के आधार प्रकट नहीं होते है। फिर भी प्रार्थी, प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में यदि कोई आपत्ति या सुनवाई संबधी उज्र/एतराज प्रकरण में प्रस्तुत करना चाहे तो वह सम्बन्धित अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतएव–

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के संशोधित आदेश दिनांक 2.5. 2018 के संबध में यदि कोई आपत्ति हो तो वह संबधित अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति सक्षम अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे को हस्ब कायदा प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
कलक्टर (आर्बीट्रेटर)
नेशनल हाईवे अजमेर